



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION  
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2021/ 1637

भोपाल, दिनांक 25/11/2021

आदेश

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. 908/227/सीसी/2021/अडतीस दिनांक 18-11-2021 के परिपालन हेतु विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यवस्थाएं लागू की जाती है-

1. विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 100% उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ होगी।
2. ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन बंद कर ऑफलाईन कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।
3. 100% क्षमता के साथ पुस्तकालय एवं स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए छात्रावास खोला जायेगा।
4. कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम एवं बचाव हेतु 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा।
5. जो विद्यार्थी दिनांक 18-11-2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन नहीं होने की स्थिति में भी विश्वविद्यालय आने की अनुमति होगी।
6. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)  
प्रभारी कुलसचिव

पृ./क्र./अका./2021/ 1638

भोपाल, दिनांक 25/11/2021

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षगण / परिसर प्रभारियों/शाखा प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. प्रभारी पुस्तकालय की ओर सूचनार्थ।
4. चीफ वार्डन, कन्या छात्रावास को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. बेवसाईट प्रभारी को बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)  
प्रभारी कुलसचिव